रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237716
CG-DL-E-29072022-237716

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3370] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944
No. 3370] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

का.आ. 3535(अ).—यतः केन्द्र सरकार ने अनुसूची में सम्मिलित छह उत्पादों हेतु दिनांक 05.09.2017 के का.आ. 2920 (अ) के तहत "सौर प्रकाशवोल्टीय, प्रणालियाँ, उपकरण और घटक वस्तुएं (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2017" जारी किया था, जिसके प्रभावी होने की तारीख 05.09.2018 थी और इसे दिनांक 12.10.2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 5259(अ) के तहत संशोधित किया गया था। और यतः दिनांक 02.02.2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 513(अ) के तहत एसपीवी इन्वर्टरों (मद 4-5) के लिए स्व-प्रमाणन को दिनांक 30.06.2022 तक बढ़ाया गया था।

2. और यतः सीमित परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता और अनुपालन के लिए अधिक समय की मांग को ध्यान में रखते हुए, एसपीवी इन्वर्टर (मद 4-5) के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2017 के कार्यान्वयन को स्व-प्रमाणन के आधार पर इस शर्त के अध्यधीन दिनांक 30.06.2022 से 31.12.2022 तक बढ़ाया जाता है कि ऐसे विनिर्माताओं के पास इन मदों के लिए उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट आईएस [मद सं. 4 के लिए आईएस 16221 (भाग 2): 2015/आईईसी 62109-2 : 2011 और मद सं. 5 के लिए आईएस 16169 : 2014/आईईसी 62116 : 2008] के अनुरूप वैध आईईसी प्रमाणपत्र हो और मान्यताप्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं से परीक्षण रिपोर्ट हो, ताकि आदेशों का सुचारु कार्यान्वयन हो सके।

[फा. सं. 223/140/2017-आर एंड डी (गुणवत्ता नियंत्रण)]

डॉ. अरुण कुमार त्रिपाठी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी'